"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2007—वैशाख 14, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री सुनिल कुजूर, भा. प्र. से. (1986) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जन शक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 1-1/2006/1 /5.—राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-10-2006 में सन् 2007 के लिये जो सामान्य (जनरल) छुट्टियां छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिये घोषित की गई है, उसमें से "डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती" के लिए 14 अप्रैल, 2007 को घोषित अवकाश को अब भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशियबल इन्स्ट्रूमेंन्ट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशियबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 के अन्तर्गत भी अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 23-02-2007 द्वारा श्री विकास शील, भा. प्र. से. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर को दिनांक 01-03-2007 से 09-03-2007 तक (09 दिवस) स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 03-03-2007 से 09-03-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2007

क्रमांक 738/210/2007/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 2-4-2007 से 5-4-2007 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2007

क्रमांक 740/209/2007/1-8/स्था.—श्री के. एल. रवि, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 9-3-2007 से 24-3-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-3-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रवि को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एल. रवि अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-1-7/18/2007/1574.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेश क्र. एफ 53/रा.नि.आ./न.पा./निरर्हता/05/533, रायपुर दिनांक 11-4-2007 द्वारा पारित आदेश अनुसार श्री रमेश कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 32 (ग) के अंतर्गत आदेश की तिथि से पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्ह घोषित किया गया है.

राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि श्री रमेश तिवारी अध्यक्ष, नगर पंचायत आरंग छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (गग) के अधीन अध्यक्ष पद पर नहीं रह जायेंगे. अतएव एतद्द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 11-4-2007 के संदर्भ में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष का पद इस आदेश दिनांक से रिक्त अधिसूचित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-1-7/18/2007/1576.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 के अधीन नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष का पद छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-1-7/18/2007/574 दिनांक 13-04-2007 द्वारा रिक्त घोषित किया गया है.

उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के प्रावधान के अंतर्गत नगर पंचायत आरंग के रिक्त अध्यक्ष के पद पर नगर पंचायत आरंग के गांधी वार्ड क्र. 08 से निर्वाचित पार्षद श्री अनिल नेभवाणी को अध्यक्ष पद का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की समस्त शक्तियां तथा कर्त्तव्य पालन करने हेतु एतद्द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-23/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों के) "लेखा द्वितीय प्रश्न पत्र" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री हीरालाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर
18.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर
19.	श्री बिहारी लाल जुर्री	अधीक्षक	प्रथम, द्वितीय, तृतीय में निम्नस्तर
20.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	तृतीय में निम्नस्तर
21.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	तृतीय में निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र रायपुर	
22.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर
23.	कु. रोक्तिमा राय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में उच्चस्तर
24.	कु. मनीषा डहरिया	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर
25.	श्री राजकिशोर वर्मा	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में निम्नस्तर तृतीय में उच्चस्तर
26.	श्री अविनाश चम्पावत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	तृतीय में उच्चस्तर
27.	सुश्री आर. संगीता	सहायक कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-06/दो/गृह/07.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग ए" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संकल्प साहू	सहायक संचालक	प्रथम में सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री सुंदर लाल देवांगन	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	प्रथम में सश्रेय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक 3709/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	झगरहा	0.50	अति: अधीक्षण यंत्री, सिविल निर्माण 2×250 मे. वा. ताप विद्युत परियोजना.	झगरहा राखड़ पाईप लाईन प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक 3709/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	नकटीखार	12.05	अति. अधीक्षण यंत्री, सिविल निर्माण 2 × 250 मे. वा. ताप विद्युत परियोजना.	नकटीखार राखड़ पाईप लाईन प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के [illegible] से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/215.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मालखरौदा प.ह.नं. 05	0.283	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4 डभरा.	मालखरौदा सब माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 अप्रैल 2007

क्रमांक 468/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	तितुरडीह	0.03	आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग	नगर प्रवेश (पहुंच) मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 14 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/वर्ष 06-07/2082.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	श्यामतराई प. ह. नं.-18	27.020	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी.	औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	खंडसरा प. ह. नं.- 4	6.114	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन मनियारी संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कुंवा प. ह. नं.- 32	0.101	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	फोक नदी के सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	राजानवागांव प. ह. नं.- 16	0.125	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	सकरी नदी के सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 18 अप्रैल 2007

क्रमांक/203/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दोड़दे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191	0.08
190	0.12
181	0.05
188	0.04
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पलांचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 19 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-रवेली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
772/3	0.073
772/8, 772/9	0.048
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 216/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती,
- (ग) नगर/ग्राम-जोगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/2	0.162
योग	1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 217/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	478/1-2	0.077
	460/2	0.117
	374/16	0.061
योग	3	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 218/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
422/5	0.049

(1)	(2)
424/1-3	0.101
426/2	0.004
योग 3	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोलनार उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 219/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1835/1	0.070
योग	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुक्ता उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 220/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-टाटा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196/3	0.053
196/4	0.049
208	0.012
222	0.016
231/1	0.020
231/2	0.024
230/3	0.008
योग	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 221/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पोरथा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.687 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	120/2	0.004
	120/3	0.049
	88, 96, 97, 101 — 9	0.049
	88, 96, 97, 101 — 12	0.053
	88, 96, 97, 101 — 4	0.089
	119	0.076
	88, 96, 97, 101 — 10	0.061
	118	0.012
	105	0.202
	106	0.020
	107	0.032
	112	0.040
योग	12	0.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक/709/प्र. 1/अ. वि. अ./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मुढ़ोरीं
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
325	0.02
155/2	0.12
155/3	0.01
315/1	0.02
155/4	0.08
160/1	0.14
160/2	0.10
160/3	0.09
135	0.15
163/2	0.14
141/2	0.12
141/3	0.04
139	0.11
131/3	0.08
171	0.15
188	0.08
189	0.07
175/1	0.12
175/2	0.08
99	0.11

(1)	(2)
90	0.02
योग	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुढ़ोरी जलाशय

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक/711/प्र. 1/अ. वि. अ./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-करतूटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178	0.66
226	1.55
653	2.17
229/1	0.37
229/6	0.80
229/9	0.34
229/11	0.41
229/2	0.24
229/8	0.80
229/5	0.26
229/10	0.48
229/4	0.80
229/12	0.12
230	0.40
233	0.15
235	0.11
231	0.05
234	0.27
236	0.03
232	0.33
238	0.08
240	0.15
237	0.05
239	0.59
241/2	0.35
241/1	0.35
243	0.04
248	0.42
253	0.86
672	0.41
249	0.16
715	0.04
250	0.33
251	0.33
713	0.03
252/1	0.10
252/2	0.08
252/3	0.08
252/4	0.10
252/5	0.10
252/6	0.07
183	1.84
184	0.97
675	0.16
646	0.52
647	0.56
645	0.78
648	0.29
649	0.25
650	0.68
651	1.54
652	0.38
708	0.79
654	1.88
655	0.12
656/1	0.69
656/2	0.74
657	0.73
661	0.70
674	0.06

(1)	(2)
662	1.34
663	0.78
664	0.09
665/1	0.95
665/2	0.09
673	0.59
660	1.98
714	0.13
716/1	0.20
658	0.44
707/1	0.50
711	0.36
712	0.26
194	0.24
229/3	0.40
229/7	0.58
254	0.07
221/1	0.13
योग	37.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करतूटोला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक/713/प्र. 1/अ. वि. अ./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रेगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2120	1.00
2124	0.20
2126	1.13
2127	0.41
2128	0.08
2133	0.99
2131	1.19
2132	0.41
2134	2.64
2139	2.18
2147/1	0.80
2148	0.20
2147/2	0.70
2147/3	0.40
2147/4	0.20
2149	2.27
2151	0.10
2155	0.61
योग	15.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोरीटोला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक/716/प्र. 1/अ. वि. अ./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ाजुगेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
547	0.09
550	0.07
626	0.71
525	0.13
660/1	0.08
660/5	0.29
624/2	0.27
660/2	0.20
660/4	0.42
549	0.25
560/3	0.04
622/1	0.57
619	0.75
620	0.68
622/2	0.85
548	0.78
615	0.46
662	0.24
554	0.30
552/2	0.20
616	0.60
617	0.99
618	1.06
योग	10.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लोहारटोला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक/718/प्र. 1/अ. वि. अ./2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा . के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़ोरीं
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
524/1	0.62
485/11	0.07
485/16	0.14
484/743	0.11
536	0.03
469/5	0.12
469/6	0.14
469/1	0.02
469/2	0.10
469/3	0.10
469/4	0.18
433/1	0.04
371	0.07
375	0.07
434	0.09
439	0.07
373	0.05
438	0.06
520	0.55
435	0.04
436	0.03
357/1	0.02
370	0.01
372	0.07
374	0.05
517	1.80
376	0.17
377	0.10
382	0.03
385	0.08
663	1.15
400	0.06
384	0.14
386	0.10
395	0.24

(1)	(2)
493/2	0.20
396	0.07
401	0.14
398	0.02
427	0.14
493/1	0.30
493/3	0.20
494	0.05
496	1.07
497	0.20
503/1	1.47
509/2	2.70
504/1	0.65
504/3	0.80
504/5	0.95
504/2	0.65
504/4	1.92
502	0.10
509/1	0.10
506	0.60
499	0.10
500	0.52
501	0.17
503/2	1.48
516	0.97
498	1.67
505	0.98
515	1.05
518	1.05
519	2.90
512	0.55
513	4.80
योग	35.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुढ़ोरी जलाशय

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परपा, प. ह. नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259/1	0.01/2
261	0.02
309	0.0 1/2
402	0.0 1/2
279	0.03
260	0.01
235	0.01
238	0.01
239/1	0.0 1/2
231	0.0 1/2
234	0.01
310	0.0 1/2
401	0.0 1/2
233	0.0 1/2
357	0.02
407	0.0 1/2
368	0.0 1/2
412	0.09
311	0.0 1/2
400	0.0 1/2
366	0.02

(1)	(2)
242	0.02
244	0.0 1/2
408	0.03
236	0.01
312	0.0 1/2
399	0.0 1/2
308	0.0 1/2
403	0.0 1/2
356	0.0 1/2
240/1	0.0 1/2
280	0.01
241	0.0 1/2
232	0.01
262	0.01
267	0.02
411/1	0.02
271	0.0 1/2
245	0.0 1/2
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-राजूर, प. ह. नं. 73

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
804	0.02
805	0.02
806	0.02
813	0.03
814	0.02
815	0.01
817	0.04
822	0.06
830	0.03
832	0.07
831	0.02
833	0.03
835	0.01 1/2
834	0.02
836	0.09
848	0.05
929/1	0.02
851/1	0.04
851/2	0.06
852	0.05
853	0.02
878	0.03
883	0.01
884	0.01
885	0.0 1/2
886	0.0 1/4
887	0.0 1/4
902	0.01
904	0.01
905	0.01
906	0.02
915	0.05
939	0.07
935	0.40
916	0.03
937	0.22
938	0.06
योग	1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/6/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कांटाकांदा, प. ह. नं. 68
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.22
115	0.03
117	0.43
11	0.20
120	0.02
206	0.10
207	0.10
265	0.20
208/2	0.10
251	0.46
253	0.09
256	0.12
258	0.31
262	0.29
263	0.10
264	0.07
योग	2.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बास्तानार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126	0.07
151	0.24
825	0.36
828	0.22
1030	0.25
152	0.70
154	0.19
156	0.12
155	0.23
159	0.29
160	0.14
1026	0.08
489	0.09
491	0.14
484	0.27
485	0.12
492	0.37
496	0.41
504	0.52
524	0.04
789	0.24
608	0.73
528	0.17
509	0.17
529	0.96

(1)	(2)
532	0.16
533	0.26
605	0.24
767	0.10
769	0.22
770	0.18
771	0.29
788	0.47
814	1.12
819	0.47
823	0.06
772	0.11
779	0.08
784	0.46
785	0.05
1029	0.35
1031	0.34
1033	0.07
1036	0.21
1037	0.05
1038	0.23
1077	0.17
1070	0.31
777	0.27
778	0.31
820	0.20
818	0.15
1045	0.04
1064	0.02
1073	0.14
योग	14.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेकिलेपाल, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1022	0.14
1031	0.16
381/1	0.62
991	0.10
1023	0.18
1024	0.04
1029/1 क	0.03
1030	0.03
1033	0.10
1029/3	0.03
1034/36	0.30
1036/2	0.03
981	0.03
224/2	0.10
381/1	0.15
768	0.01
381/123, 766	0.01
381/388	0.01
1086/5	0.01
764, 381/15	0.01
765/5	0.02
649/1	0.16
649/1	0.14
1089	0.01
1087	0.01
1086/1	0.04
1086/3	0.04

(1)	(2)
1078	0.01
1077	0.02
1073/1	0.01
1073/1	0.02
221/1	0.17
315/1	0.07
450/1	0.42
446/1	0.08
315/1	0.60
315/1	0.12
232/1	0.13
315/1	0.23
432	0.20
446/1	0.38
649/1	0.10
433	0.05
431	0.05
535/1	0.33
451, 452	0.01
446/1	0.28
446/1	0.66
446/1	0.09
436	0.01
446/1	0.01
315/1	0.17
315/1	0.11
315/1	0.22
315/1	0.12
536	0.07
527	0.08
531/1	0.24
535/1	0.20
204/1	0.08
535/1	0.32
205	0.33
1073/1	0.02
योग	8.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायकोट, प. ह. नं. 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
313	0.16
315	0.14
320	0.04
322	0.08
321	0.05
324/1	0.05
376	0.01
326/3	0.02
375	0.01
385	0.16
388/1	0.08
736	0.06
592	0.07
593	0.05
514/1	0.12
629	0.09
654	0.16
730	0.20
755	0.82
735	0.16
737	0.10
738	0.07
740	0.06
742	0.18
744	0.03

(1)	(2)
750	0.06
756	0.35
881	0.06
882/2 क	0.01
884	0.03
594/2	0.18
324/2	0.02
388/2	0.14
882/221	0.01
886	0.08
887	0.12
893	0.14
894	0.06
895	0.01
898	0.01
899	0.02
902	0.01
368	0.02
880	0.01
869/2	0.04
883	0.02
377	0.02
746	0.14
योग	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ाजी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-308.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	4.80
2	1.21
3	0.88
5	1.21
7/1	0.81
7/2	0.20
8	1.57
9	0.41
10	0.73
11	0.41
12	2.45
13	0.25
15	1.24
16	1.96
17	2.88
18	2.00
19/1	0.20
19/2	0.20
20	1.11
21/1	0.32
21/2	0.32
21/3	0.31
22	1.09
23	0.95
24	1.39
25	0.60
26/1	0.10
26/2	0.10
26/3	0.17
26/4	0.20
26/5	0.17
26/6	0.17
27	0.44
28	0.63
29	0.39
30	0.23

(1)	(2)
31	0.60
32	0.15
33	0.19
34	0.33
35	0.76
36	0.45
37	0.10
38	1.24
39/1	0.08
39/2	0.08
39/3	0.08
40	0.20
41	0.17
42	0.18
43	0.18
44	0.11
45/1	0.75
45/2	0.27
45/3	0.17
45/4	0.36
46	0.27
47	0.44
48	0.30
49	0.20
50	0.09
51	0.12
52	0.80
53	0.12
54	0.93
55	0.20
56	0.49
57	0.73
58	0.15
59	0.11
60	0.17
61	0.14
62	0.39
63/1	0.40
63/2	0.40
63/3	0.40
64	1.32
65	0.66
66	0.03
67	0.04
68	0.66
69	0.39
70	0.33
71	0.28
72	0.28
73	0.34
74/1	0.42
74/2	0.42
74/3	0.41
75	0.26
76	0.84
77/1	0.17
77/2	0.17
77/3	0.18
77/4	0.18
77/5	0.18
78	0.27
79/1	0.54
79/2	0.55
79/3	0.54
80/1	0.10
80/2	0.10
80/3	0.09
80/4	0.09
80/5	0.09
81	0.40
82	0.85
83	1.21
84	0.32
85	0.29
86/1	0.29
86/2	0.14
87/1	0.22
87/2	0.23
88	[illegible]
89	0.14
90	0.20
91	0.43
92	[illegible]
93	0.36
94	0.91
95	0.62
96	0.77
97	0.76
98	0.19
99/1	0.13
99/2	0.12
99/3	0.16
99/4	0.15

(1)	(2)
100	0.34
101	0.16
102	0.25
103	0.27
104	0.45
105	0.15
106	0.17
107	0.38
108/1	0.26
108/2	0.25
108/3	0.25
109	0.55
110	0.55
111	1.03
112	0.27
113	0.30
114/1	0.33
114/2	0.32
115	1.36
116	0.36
117	0.36
118	0.40
119	0.17
120	0.18
121	0.18
122/1	0.17
122/2	0.17
122/3	0.17
122/4	0.17
122/5	0.17
125	0.30
126	0.83
127	0.27
128	0.13
129	0.63
130	0.11
131	0.10
132	0.32
133	0.32
134	0.88
135	0.23
136	0.22
137	0.42
138	0.85
139/1	0.19
139/2	0.19
140	0.27
141	0.25
142	0.25
143/1	0.35
143/2	0.35
143/3	0.35
145/2	0.20
145/1/क	0.07
145/1 ख	0.16
146	0.58
147	0.53
148	0.40
149	0.10
150	0.02
151	0.02
152	0.31
153	0.15
154	0.37
155	0.64
156	0.29
157	0.27
158	0.31
159/1	0.11
159/2	0.12
159/3	0.11
160/1	0.32
160/2	0.32
160/3	0.33
160/4	0.33
160/5	0.33
161	0.36
162/1	0.20
162/2	0.20
162/3	0.25
162/4	0.25
162/5	0.06
162/6	0.06
162/7	0.06
163	0.36
164	0.27
165	2.20
166/1	0.09
166/2	0.10
166/3	0.10
166/4	0.10
166/5	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
167/1	0.02	244	0.92
167/2	0.02	247	0.80
167/3	0.02	248	1.17
167/4	0.02	249	1.96
167/5	0.02	251	1.11
168	0.58	249	1.96
169/1	0.29	251	1.11
169/2	0.34	252/1	0.11
169/3	0.56	252/2	0.30
170	0.25	253	0.80
171	0.31	254	0.33
172	0.92	255	0.64
173	0.05	256	0.81
174	0.13	257	0.29
175/1	0.15	258	0.10
175/2	0.15	259	0.33
175/3	0.15	260	0.30
175/4	0.15	261	0.81
175/5	0.15	262	0.28
176	0.15	263	0.85
177/1	0.58	264	2.24
177/2	0.30	265	0.30
177/3	0.25	266/1	0.89
178	0.44	266/2	0.38
179	0.40	267	0.18
180	0.09	268	0.15
181	0.17	269	0.83
182	0.54	270/1	0.20
183	0.25	270/2	0.20
184	0.29	270/3	0.20
185	0.10	270/4	0.20
186	0.09	270/5	0.20
187	0.12	271	0.30
192	2.02	272	0.61
193/1	0.84	273	0.41
193/2	0.85	274	0.31
193/3	0.85	275/1	0.30
194	0.97	275/2	0.30
195	0.67	276	0.23
196	2.02	277	2.76
197	1.18	278	0.17
198	1.42	279	0.56
201/1	0.19	280	1.17
201/2	0.19	281	0.20
202	0.57	282	1.02
242	1.46	283	0.32
243	0.90		

(1)	(2)	(1)	(2)
284	1.16	640	0.44
285	0.61	641/1	0.17
286/1	0.90	641/2	0.17
286/2	0.90	641/3	0.13
287	2.90	641/4	0.10
288	1.13	642	0.41
289	1.42	644	0.62
290	0.20	645	0.44
291	0.19	646	0.23
292/1	0.35	647	0.26
292/2	0.20	648	0.31
292/3	0.16	649/1	0.39
293	0.32	649/2	0.38
294	0.51	649/3	0.38
295	0.37	650/1	0.13
296	0.46	650/2	0.13
297	0.58	650/3	0.14
298	0.24	651/1	0.22
380	1.21	651/2	0.22
381	1.27	651/3	0.22
382	0.70	653	0.33
383	0.34	654	0.45
384	1.97	655	0.26
385	1.12	682	0.28
386	1.21	683	0.66
387	0.82	687	0.50
388	0.80	688	0.50
389	0.68	689	0.53
390	0.57	724	0.08
391	0.89	725	0.66
392	0.80	726	1.50
393	0.87	727	0.56
394	0.61	728/1	0.28
395	1.21	728/2	0.28
397	0.82	729	0.55
622/1	0.33	730	0.51
622/2	0.20	731/1	0.18
623	0.39	731/2	0.17
624	0.26	731/3	0.17
625/1	0.06	732	0.62
625/2	0.07	734	0.67
625/3	0.07	735	0.62
626	0.19	736	0.18
637	0.44	738	0.24
638	0.53	739	0.24
639/1	0.14	740	0.23
639/2	0.14	741	0.21
639/3	0.15	742	0.21

(1)	(2)	(1)	(2)
743/1	0.17	780/1	0.64
743/2	0.16	780/2	0.64
743/3	0.16	781	0.40
744	2.34	782	0.51
745	0.32	783	0.39
746	0.40	784	0.33
747/1	0.40	785	0.16
747/2	0.39	786	0.25
748/1	0.38	787	1.88
748/2	0.39	788	0.47
748/3	0.39	789/1	1.02
749/1	0.51	789/2	1.02
749/2	0.20	790	1.55
750	0.45	791	0.33
751	0.50	792	1.15
752	0.49	793	0.56
753	0.68	794	0.59
754/1	0.28	795	0.57
754/2	0.27	796	2.02
754/3	0.27	797/1	0.17
755	1.26	797/2	0.17
756	0.51	797/3	0.17
757	0.40	797/4	0.17
758	0.51	797/5	0.16
759	0.41	798	0.58
760	0.10	799	0.26
761	0.10	800	0.52
762	0.10	801	1.19
763	0.09	802	0.23
764	0.09	803	1.31
765	1.08	804/1	0.12
766	0.28	804/2	0.12
767	0.36	804/3	0.12
768	0.44	804/4	0.12
769	0.26	804/5	0.14
770/1	0.25	805	0.50
770/2	0.26	806	1.20
771	0.50	807/1	0.50
772	0.67	807/2	0.07
773	1.43	807/3	0.07
774	0.87	807/4	0.45
775	0.21	807/5	0.44
776	2.00	807/6	0.50
777	0.15	808	0.64
778	1.30	809	0.28
779	1.03	810	0.28

(1)	(2)	(1)	(2)
811	0.53	843	0.32
812	0.20	844	0.23
813	0.56	845	0.29
814	1.01	847/1	0.05
816/1	0.33	847/2	0.04
816/2	0.33	847/3	0.04
816/3	0.32	848/1	0.09
817/1	0.08	848/2	0.10
817/2	0.08	849	0.14
817/3	0.15	850	0.50
817/4	0.15	851	0.41
817/5	0.70	852/1	0.32
817/6	1.39	852/2	0.32
817/7	0.30	852/3	0.31
817/8	0.30	852/4	0.31
818	2.66	853	1.08
819	0.72	854	0.60
820	0.61	855/1	0.69
821	0.42	855/2	0.18
822	0.24	855/3	0.18
823	0.24	855/4	0.18
824	0.24	855/5	0.18
825	0.58	856	0.34
826	0.29	858	0.35
827	0.29	859	0.28
828	1.80	860	0.74
829	1.21	861	0.25
830	0.39	862/1	0.23
831	0.51	862/2	0.23
832	0.31	862/3	0.23
833	0.40	862/4	0.23
834	0.29	862/5	0.48
835	1.93	862/6	0.20
836	0.94	863	0.18
837	0.65	864	0.20
838	1.06	865	0.20
839/1	0.16	866	0.41
839/2	0.15	867/1	0.32
839/3	0.15	867/2	0.20
839/4	0.13	869	0.96
839/5	0.12	870	0.63
840/1	0.15	871	0.29
840/2	0.15	874	0.17
841/1	0.52	875	0.15
841/2	0.52	877	0.95
842	0.31	957	1.20

(1)	(2)
958	1.33
968	0.42
969	0.35
970	0.24
971	0.65
974	0.88
975/1	0.22
975/2	0.21
975/3	0.21
976/1	0.70
976/2	0.27
876/3	0.09
976/4	0.09
976/5	0.09
976/6	0.27
978/1	0.10
978/2	0.10
978/3	0.16
978/4	0.13
978/5	0.15
978/6	0.16
978/7	0.04
978/8	0.04
978/9	0.04
978/10	0.04
978/11	0.10
978/12	0.10
978/13	0.04
978/14	0.16
978/15	0.13
978/16	0.14
980	0.51
981	0.12
982	0.11
983	0.40
984	0.12
985	0.09
986	0.22
987	0.68
989	0.20
990	0.80
992/1	0.11
992/2	0.13
992/3	0.11
993/1	0.18
993/2	0.08
994/1	0.38

(1)	(2)
994/2	0.57
995/996/1	0.20
995/996/2	0.20
995/996/3	0.20
995/996/4	0.19
995/996/5	0.19
995/996/6	0.19
997/1	0.07
997/2	0.07
997/3	0.07
1002	0.85
1003/3	0.04
1003/4	0.19
1003/5	0.31
1004	0.08
1067	0.80
1068	0.79
1069	0.40
1070/1	0.05
1070/2	0.05
1070/3	0.04
1070/4	0.13
1070/5	0.14
1071	0.46
1073	0.04
1074	0.26
1363/1	0.10
1363/2	0.10
1363/3	0.10
1364	0.10
1365/1	0.02
1365/2	0.03
1365/3	0.03
1365/4	0.02
1366	0.10
1367	0.11
1368/1	0.48
1368/2	0.48
1369	1.01
1370/1	0.27
1370/2	0.27
1370/3	0.27
1370/4	1.11
1370/5	0.84
1370/6	0.84
1370/7	0.84

	(1)	(2)
	1371	0.85
	1372	1.45
योग	687	308.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेपरोदा, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-149.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.20
1/2	0.25
1/3	0.25
1/4	0.25
1/5	0.25
3/1	0.02
3/2	0.02
3/3	0.02
3/4	0.01
4	1.16
5	1.20
6	0.22
7/1	2.86
7/2	0.40
8	1.28
9	0.62
10	0.40
11/1	0.89
11/2	0.90
12	0.74
13	1.35
14	0.83
15/1	0.58
15/2	0.57
16	0.44
17	0.77
18/1	0.05
18/2	0.05
18/3	0.05
18/4	0.05
18/5	0.04
20/1	1.25
20/2	0.45
21	0.77
22	0.50
23/1	0.40
23/2	1.05
24/1	0.21
24/2	0.21
24/3	0.21
24/4	0.20
25/1	0.15
25/2	0.15
25/3	0.15
25/4	0.15
26	0.93
27	1.47
28	3.20
29	1.55
30	0.15
31	0.96
33	0.68
38	0.35
39	6.17
40	0.46
41	0.18
42	1.18
43/1	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
43/2	0.19	70/2	0.13
43/3	0.18	70/3	0.12
43/4	0.18	70/4	0.12
44/1	0.17	70/5	0.12
44/2	0.17	70/6	0.12
45	2.72	71	1.92
47	0.47	72	0.29
48/1	0.10	73	1.21
48/2	0.10	77	0.27
48/3	0.10	78	0.36
48/4	0.09	79/1	0.07
48/5	0.09	79/2	0.05
49/1	0.19	79/3	0.07
49/2	0.20	79/4	0.07
49/3	0.20	79/5	0.06
49/4	0.20	80	0.10
49/5	0.20	81	0.06
50/1	0.18	84	0.53
50/2	0.40	87	0.19
50/3	0.40	88	0.20
51/1	0.22	89	0.78
51/2	0.10	90	0.73
51/3	0.10	91	0.41
51/4	0.09	92	0.34
51/5	0.09	94	0.07
51/6	0.09	120	0.85
52	0.58	120/523/1	0.06
53	0.35	120/523/2	0.06
55	1.78	120/523/3	0.07
56	0.56	120/523/4	0.07
58	0.40	120/523/5	0.07
59	1.26	121	1.20
60	0.53	122	0.51
61/1	0.31	123	1.05
61/2	0.31	124/1	0.22
61/3	0.30	124/2	0.22
62/1	0.33	124/3	0.22
62/2	1.44	125/1	0.77
63	0.42	125/2	0.77
64	2.60	126/1	0.28
65	2.05	126/2	0.27
66	0.58	127	0.35
67	1.61	128	0.84
68	0.29	129	1.21
69	0.24	130	0.47
70/1	0.13	131	3.02

(1)	(2)
132	0.55
133	0.48
134	0.40
135	0.58
136	0.30
137	0.24
138	0.23
139	0.35
140/1	0.21
140/2	0.20
142	1.12
143	0.87
144	0.64
145	1.14
146	1.04
147/1	0.14
147/2	0.14
147/3	0.14
147/4	0.14
149	0.61
150	0.26
151	0.40
152	0.98
153/1	0.09
153/2	0.09
153/3	0.10
154	0.04
155	0.29
156/1	0.08
156/2	0.08
156/3	0.08
156/4	0.08
157/1	0.02
157/2	0.02
157/3	0.02
157/4	0.02
157/5	0.03
158	0.53
159/1	0.03
159/2	0.03
159/3	0.03
159/4	0.03
159/5	0.03
160	0.68
161	0.44
162	0.26
163/1	0.87
163/2	0.87
164/1	0.04
164/2	0.04
164/3	0.04
164/4	0.04
164/5	0.05
165/1	0.06
165/2	0.06
165/3	0.06
165/4	0.06
165/5	0.06
166	0.65
168	1.08
169	0.67
170/1	0.16
170/2	0.16
170/3	0.15
171	1.81
172	0.90
173	0.20
174	0.63
175	1.07
176	0.66
177	0.35
178	0.28
179	0.23
180	0.70
181	0.91
182	0.41
183	0.59
184	0.15
185	3.88
186	0.20
187	1.00
188	1.12
189	0.68
190	0.90
191	0.87
192	0.25
193	0.83
194	0.43
196	1.10
197	1.47
198	0.89

(1)	(2)
199	0.69
200/1	0.45
200/2	0.45
200/3	0.44
201	1.30
202/1	0.30
202/2	0.29
202/3	0.29
203	0.43
204	1.32
205/1	1.35
205/2	1.36
206/1	0.13
206/2	0.13
207/1	0.19
207/2	0.18
208/1	0.11
208/2	0.11
208/3	0.11
208/4	0.12
208/5	0.12
209/1	0.25
209/2	0.25
210	0.55
211	0.18
212	0.86
213	1.28
214	0.80
215	0.70
216/1	0.10
216/2	0.10
216/3	0.11
217/1	0.13
217/2	0.12
217/3	0.13
218/1	0.38
218/2	0.38
219	0.61
220/1	0.20
220/2	0.21
220/3	0.21
220/4	0.16
220/5	0.21
220/6	0.06
221	0.75
222/1	0.06
222/2	0.07
222/3	0.10
224	0.02
225	0.04
226/1	0.23
226/2	0.23
226/3	0.23
228	0.70
229/1	0.15
229/2	0.15
229/3	0.15
229/4	0.15
230/1	0.18
230/2	0.18
230/3	0.18
231	0.15
232	0.08
233/1	0.07
233/2	0.07
233/3	0.07
239/1	0.03
262	0.98
योग 309	149.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलर, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-213.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	5.36
2	0.69
3	1.09
4	1.11
5	0.29
6	0.44
7	0.28
8	0.40
9	1.26
10	0.48
11	0.23
12	0.45
13	0.35
14	0.47
15	0.07
16	0.04
17	0.68
18	1.37
19	0.45
20	3.54
21	3.46
22	0.36
23	0.05
31	0.67
32	0.35
33	0.13
34	0.78
35	0.61
36	0.66
37	1.50
38	0.12
39	0.09
40	0.07
41	0.08
42	0.10
43	0.21
44	0.21
45	0.20
46	0.19
47	0.49
48	0.40
49	0.51
50	1.21
51	1.28
52	0.12
53	0.21
54	0.14
55	0.42
56	0.08
57	0.38
58	0.16
59	0.09
60	0.07
61	0.07
62	0.09
63	2.51
64	0.41
65	0.59
66	0.33
67	0.44
68/1	0.14
68/2	0.60
69	0.19
70	0.15
71/1	1.02
71/3	0.60
71/2 क	0.11
71/2 ख	0.11
71/2 ग	0.10
71/2 घ	0.10
71/4 क	0.06
71/4 ख	0.06
71/4 ग	0.07
71/4 घ	0.07
72	0.40
73	2.08
74	0.67
75	0.75
76	0.87
77	1.11
78	1.80
79	1.29
80	0.20
81	1.27

(1)	(2)
82	3.92
83	0.69
84	1.67
85	1.69
86	0.46
87	0.73
88	1.74
89	2.93
90	0.03
91	0.27
92	0.28
93/1	0.22
93/2	0.64
94	0.75
95/1	0.29
95/2	0.40
96	0.41
97	0.45
98/1	0.47
98/2 क	0.16
98/2 ख	0.16
98/3	0.23
109/1	0.04
109/2 क	0.08
110	0.16
111/1	0.30
111/2	0.13
112	0.35
113	0.28
114	0.76
115	0.15
116	0.02
148	1.19
149	0.37
152	0.07
191	0.13
192/1	0.17
192/2	0.17
192/3	0.17
192/4	0.17
193	1.63
194	0.81
196/1	0.42
196/2	0.33
196/3	0.34
197	1.77

(1)	(2)
198	0.81
199	0.19
200/1	0.65
200/2	0.60
201	0.45
203/1	0.36
203/2	0.21
204	0.87
205/1	4.22
205/2	0.40
205/3	0.14
206	4.51
207	10.10
209	2.19
210	1.45
213	0.29
228	0.25
233	0.68
234	1.95
235	1.09
236	9.85
237	0.07
238	0.05
239	0.36
240	1.71
242	5.42
243	0.35
245	2.20
292	0.29
293	0.05
309	0.30
310	0.49
314	0.05
315	0.06
317	1.34
326	0.63
327	0.33
328	0.15
329	0.09
342	0.30
465/3	0.30
465/4	0.10
465/5	0.13
470	0.12
471	1.82
472	0.23

(1)	(2)
473	1.58
474	0.90
475	0.46
476/1	0.33
476/2	0.36
477	0.55
478	0.47
479	0.24
480	0.27
481	0.31
482	0.05
483	0.45
484	0.69
485	0.37
487/1	0.37
487/2	0.37
487/3	0.38
487/4	0.38
488	0.36
489	0.05
490	0.05
491	0.05
492	0.30
493/1	0.19
493/2	0.19
493/3	0.19
493/4	0.18
494	0.44
495	0.31
496	0.28
497/1	0.16
497/2	0.43
497/3	0.32
497/4	0.32
498	0.56
499	1.42
500	1.01
501	0.59
502/1	0.25
502/2	0.30
502/3	0.11
502/4	0.36
502/5	0.30
502/6	0.10
502/7	0.24
503	0.14
504	0.12
505	0.39
506	0.78
507/2	0.16
507/3	0.16
507/1 क	0.03
507/1 ख	0.04
507/1 ग	0.04
507/1 घ	0.04
508	0.49
509	0.58
510	0.15
511/1	0.19
511/2	0.19
511/3	0.19
511/4	0.20
512	0.55
513	1.06
514	0.10
515	0.10
516	0.10
517	0.15
518	0.59
519	4.03
520	0.56
521	0.40
522	0.38
523	0.31
524	0.31
525	0.38
526	0.60
527	0.70
528/1	0.22
528/2	0.23
528/3	0.23
528/4	0.23
529	0.28
530	0.07
531	0.08
532	0.08
533	0.10
534	0.13
535	0.15
536	0.04
537	0.03
538	0.05
539	0.04
542	4.42
543	4.18

(1)	(2)
544	2.94
545	0.14
546	0.70
547/1 क	0.23
547/1 ख	0.34
547/2	0.64
547/3	0.10
547/4	0.13
547/1014	0.30
548	0.01
555	0.80
557	1.88
558	1.10
559	8.86
565	0.15
629	0.29
630	1.75
644	0.08
646	0.05
647	1.00
649	0.10
650	0.10
651/1	0.27
651/2	0.30
652/1	0.08
652/2	0.07
652/3	0.04
653	0.06
654	0.16
655	0.07
656	0.49
657	1.55
659	0.51
660	0.28
661	1.02
686	0.38
687	0.20
688	0.72
690	0.40
692	0.02
832	1.35
836	0.25
837	1.75
838	0.42
योग 315	213.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलियापाल, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-141.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.33
3	2.30
5	0.18
6	0.70
7	0.38
8	0.83
9	0.42
10	0.60
11	1.21
12	0.92
13	0.37

(1)	(2)	(1)	(2)
14/1	0.45	44	0.22
14/2	0.22	45	0.18
14/3	0.22	46	1.40
15/1	1.08	47/2	2.38
15/2	0.80	47/1 क	0.60
15/3	0.80	47/1 ख	0.60
16/1	1.04	47/1 ग	0.60
16/2	0.81	47/1 घ	0.60
17	0.22	48/1 क	0.42
18	0.53	48/1 ख	0.40
19/1	0.12	48/1 ग	0.40
19/2	0.11	48/1 घ	0.40
20	0.23	48/1 ङ	0.40
21	4.00	48/2 क	0.22
22	1.39	48/2 ख	0.40
23/1	0.21	48/2 ग	0.40
23/2	0.10	49/1	0.81
23/3	0.10	49/2	0.40
23/4	0.10	49/3	0.40
24	1.57	50/1	0.80
25	0.10	50/2	0.81
26	0.18	50/3	0.81
27/1	0.30	50/4	0.81
27/2	0.25	50/5	0.81
27/3	0.25	50/6	0.40
28	0.78	50/7	0.40
29/1	0.91	50/8	0.40
29/2	0.90	51/1	0.41
30	0.14	51/2	0.40
31	0.73	51/3	0.40
32/1	0.16	52	0.41
32/2	0.25	53	0.41
33	1.47	55/1	1.00
34	1.81	55/2	1.37
36	0.34	56/1	1.02
37	0.31	56/2	0.50
38/1	0.60	56/3	0.50
38/2	0.60	57/2	0.14
39/1	0.92	57/1 क	0.64
39/2	0.93	57/1 ख	0.64
40	1.18	57/1 ग	0.64
41/1	0.31	58/1	1.01
41/2	0.16	58/2	0.46
41/3	0.16	58/3 क	0.19
42	0.66	58/3 ख	0.18
43/1	0.09	58/3 ग	0.18
43/2	0.10		

(1)	(2)
59/2	1.69
59/1 क	0.17
59/1 ख	0.17
60/1	0.34
60/2	0.34
60/3	0.34
60/4	0.34
60/5	0.34
60/6	0.33
61/1	0.52
61/2	0.30
61/3	0.30
61/4	0.30
61/5	0.30
61/6	0.30
62/1	0.42
62/2	0.40
62/3	0.40
62/4	0.40
62/5	0.40
63/1	0.49
63/2	0.40
63/3	0.40
63/4	0.40
63/5	0.40
64	0.30
66	0.94
67	0.50
68	0.51
69	0.80
70	0.73
72	1.28
75	0.37
76/1	0.45
76/2	0.40
76/3	0.40
76/4	0.40
78/1	0.34
78/2	0.33
78/3	0.33
79	1.00
80	0.80
81	0.79
82	1.01
83	0.88
84/1	0.22
84/2	0.22
84/3	0.21
84/4	0.22
85	1.33
86	1.20
87	1.63
88/1	0.82
88/2	0.81
88/3	0.81
89/1	0.59
89/2	0.59
90	1.50
91/1	0.80
91/2 क	0.20
91/2 ख	0.20
92/1	1.07
92/2 क	0.26
92/2 ख	0.09
92/2 ग	0.05
93	4.25
94/1	0.43
94/2	0.43
95	2.75
96	5.65
97	0.75
98/1	0.20
98/2	0.25
98/3	0.25
99/1	0.96
99/2	0.96
99/3	0.95
100	2.57
101	0.80
103	0.51
104	1.21
105	0.60
106	0.59
107	0.81
108	0.81
109/1	1.23
109/2	0.40
109/3	0.40
110/1	0.71
110/2	0.71
110/3	0.71
110/4	0.70
111	0.49
113	0.33
114	0.59

(1)	(2)
115/1	0.59
115/2	0.59
116	0.40
117	0.93
118/1 क	0.16
118/1 ख	0.16
118/1 ग	0.17
118/1 घ	0.16
118/1 ड	0.16
118/2	0.40
119	0.51
120	0.77
121	3.15
122/1	0.44
122/2	0.44
122/3	0.44
122/4	0.44
122/5	0.30
योग 217	141.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसकें द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दगांव, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-52.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
539/1	0.24
539/2	0.14
540/1	0.09
540/2	0.09
540/3	0.07
540/4	0.09
540/5	0.09
540/6	0.09
541/1 क/1	0.04
541/1 क/2	0.04
541/1 क/3	0.05
541/1 ख	0.16
541/2 क	0.14
541/2 ख	0.16
542/1 क	0.07
542/1 ख	0.07
542/1 ग	0.07
542/2	0.21
543/1	0.20
543/2	0.20
544/1	0.12
544/2	0.12
544/3	0.12
545/1 क	0.20
545/1 ख	0.20
545/2 क	0.20
545/2 ख	0.20
546/1 क	0.06
546/1 ख	0.05
546/1 ग	0.05
546/2	0.15
548/1	0.72
548/2	0.10
558	5.09
559/1	0.39
559/2	0.40
560	0.34
561/628	0.39
562	0.13
563/1	0.33
563/2	0.20
564	0.09
566/1	1.27
566/2	1.07

(1)	(2)
568	3.47
569	0.32
570	0.29
571	0.68
572	1.05
573	0.45
579/1	0.19
579/2	0.20
579/3	0.19
580/1	0.83
580/2	0.56
582/1	0.35
582/2	0.35
583	1.58
584/1	0.33
584/2	0.34
585	0.88
589/1	0.08
589/2	0.04
590/1 क	0.07
590/1 ख	0.06
590/2 क	0.07
590/2 ख	0.06
591/1 क	0.04
591/1 ख	0.04
591/1 ग	0.03
591/2	0.11
592/1	0.15
592/2	0.20
592/3	0.18
593/1 क	0.15
593/1 ख	0.15
593/2 क	0.15
593/2 ख	0.15
594/1 क	0.12
594/1 ख	0.11
594/1 ग	0.11
594/2	0.33
595/1	0.08
595/2	0.07
595/3	0.07
595/4	0.07
595/5	0.07
595/6	0.07
596/1	0.24
596/2	0.23
597	1.15
598/1	0.23
598/2	0.24
599/1	0.47
599/2	0.47
600/1 क	0.01
600/1 ख	0.02
600/1 ग	0.02
600/2	0.06
601	0.40
602/1	0.15
602/2	0.15
603/1	0.45
603/2	0.45
604/1	2.69
604/2	1.00
605/1	0.15
605/2	0.16
606	1.80
607	0.71
608	0.42
609	1.05
610	0.44
611/1	0.21
611/2	0.22
611/3	0.22
611/4	0.22
611/5	0.22
611/6	0.22
612/1	0.27
612/2	0.27
613/1	0.45
613/2	0.45
614	0.17
615	0.15
616/1	0.09
616/2	0.10
617/1	0.13
617/2	0.36
617/3	0.12
617/4	0.12
618/1 क	0.12
618/1 ख	0.13
618/1 ग	0.12
618/2	0.38
619/1 क	0.24

(1)	(2)
619/1 ख	0.24
619/2 क	0.24
619/2 ख	0.24
620/1	0.22
620/2	0.23
620/3	0.22
620/4	0.22
620/5	0.22
620/6	0.23
621/1	0.30
621/2	0.29
622	0.89
623/1	0.45
623/2	0.44
623/3	0.44
624/1	0.16
624/2	0.16
624/3	0.16
योग 154	52.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-दाबपाल, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-209.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.35
1/2	1.42
2	0.51
3/1	0.15
3/2	0.12
3/3	0.12
3/4	0.12
4/1	0.11
4/2	0.10
4/3	0.10
4/4	0.10
5	0.85
6	0.93
7	0.40
8	0.41
9	0.41
11/2	0.06
11/3	0.06
11/4	0.06
11/5	0.03
11/6	0.03
11/7	0.03
11/8	0.02
11/9	0.06
11/10	0.05
11/11	0.16
11/12	0.02
11/ध	0.01
11/1 ख	0.01
11/1 क	0.03
11/1 ग	0.01
12	0.41
13	0.34
14	0.41
15	0.41
16	0.17
17	0.81
18	0.43
19	0.41
20	0.06
22	0.64
23	0.41
25/1	0.08
25/2	0.08
25/3	0.09

(1)	(2)
25/4	0.08
25/5	0.08
26	0.40
27	0.42
28	0.81
29/1	0.09
29/2	0.08
29/3	0.08
30	0.81
31	1.36
32	1.53
33	0.35
34	0.23
35	0.41
36	0.41
37/1	0.13
37/2	0.15
37/3	0.16
37/4	0.15
37/5	0.15
37/6	0.10
37/7	0.09
37/8	0.09
37/9	0.09
37/10	0.09
38	0.26
39	1.22
40	0.47
42/1	0.32
42/2	0.33
42/3	0.32
43/1	0.52
43/2	0.52
44/1	0.03
44/2	0.02
45	0.49
46	1.03
47	1.02
48/1	0.36
48/2	0.36
48/3	0.36
50	0.32
52	1.34
53	0.41
54	0.14
55	0.49
56	0.81

(1)	(2)
57/1	0.29
57/2	0.30
58	0.74
65	1.90
66	1.51
67	1.52
68	1.53
69	1.53
70/1	0.16
70/2	0.16
70/3	0.16
70/4	0.16
70/5	0.16
70/6	0.15
70/7	0.15
70/8	0.15
71	0.57
72	1.03
73	2.35
74	0.89
75/1 क	0.29
75/1 ख	0.16
75/1 ग	0.12
75/1 ध	0.12
75/1 च	0.04
75/1 छ	0.16
75/2	0.22
75/3	0.22
75/4	0.22
75/5	0.22
75/6	0.22
75/7	0.22
76	0.76
77/1	0.02
77/2	0.02
77/3	0.02
77/4	0.02
77/5	0.02
77/6	0.02
77/7	0.02
77/8	0.02
81	1.01
82	0.93
83	0.52
84	0.46
85	1.15
87/1	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
87/2	0.10	140	0.22
87/3	0.10	141	0.30
87/4	0.10	142/1	0.06
89	0.81	142/2	0.06
90	0.60	142/3	0.05
91	1.55	143/1	0.19
92	0.25	143/2	0.19
93	1.01	144	0.54
95	0.24	145	0.23
96/1	0.42	146	0.12
96/2	0.42	148	2.15
96/3	0.41	149	0.13
98	1.01	150	0.11
99	0.83	151	0.37
100	1.01	152/1	0.42
101	0.44	152/2	0.43
111	0.18	153	0.58
113	0.79	154	0.40
115/1	0.24	155	0.46
115/2	0.06	156/1	0.11
117/1	0.24	156/2	0.10
117/2	0.08	156/3	0.10
118/1	0.08	156/4	0.10
118/2	0.08	156/5	0.10
118/3	0.08	157/1	0.14
118/4	0.08	157/2	0.14
118/5	0.08	158	1.02
119/2	0.20	159	1.59
119/3	0.33	160	0.49
119/4	0.03	161/1	0.39
120	0.25	161/2	0.39
122	0.65	161/3	039
123	0.36	161/4	0.40
124	0.74	161/5	0.40
126	1.04	161/6	0.40
127	0.43	161/7	0.40
129	0.31	161/8	0.40
131	0.30	162	0.33
132	0.66	164	0.53
135	0.33	165	0.38
136/1	0.10	166	0.54
136/2	0.09	167	1.05
137	0.50	168	1.41
138	0.11	170	0.59
139/1	0.20	171	0.51
139/2	0.20	174	0.46

(1)	(2)	(1)	(2)
175	0.44	225/3	0.44
177	0.10	226	0.18
179/1	0.20	227/1	0.07
179/2	0.24	227/2	0.07
179/3	0.20	227/3	0.08
181	0.26	227/4	0.08
184	1.44	227/5	0.08
185	0.17	228	0.23
186/1	0.08	230	0.25
186/2	0.08	232	0.30
186/3	0.08	233	0.09
186/4	0.08	234	0.26
186/5	0.07	235	0.46
187/1	0.02	236	0.42
187/2	0.02	237	0.60
187/3	0.02	238	0.19
187/4	0.01	239	0.66
187/5	0.01	240/1	0.14
188	0.41	240/2	0.13
189/1	0.16	240/3	0.13
189/2	0.16	241	0.65
189/3	0.16	242	3.23
189/4	0.15	243	1.66
191	0.22	244	12.89
193	0.87	245/1	2.03
201	2.58	245/2	2.03
203	0.50	248/1	0.14
204/1	0.04	248/2	0.07
204/2	0.04	248/3	0.08
204/3	0.03	250/1	0.10
204/4	0.03	250/2	0.10
204/5	0.03	250/3	0.09
205	1.60	253	0.72
206	0.94	254	0.53
208	0.16	255	0.38
210	0.48	257	1.26
211	1.17	258	2.71
213	0.61	262	0.41
214	0.41	264/1	0.16
215	0.53	264/2	0.17
216	0.55	264/3	0.17
220	1.01	264/4	0.17
221	0.46	265/1	0.41
223	0.29	265/2	0.41
224	0.16	266	3.81
225/1	0.42	267	0.59
225/2	0.42	268/1	0.46

(1)	(2)
268/2	0.96
269/1	1.51
269/2	0.76
269/3	0.75
270	2.30
271	0.25
272	0.29
275/1	0.40
275/2	0.40
275/3	0.41
276	1.26
277	1.08
278/1	0.40
278/2	0.23
278/3	0.20
278/4	0.20
279	0.97
280	7.63
281	0.96
282/1	0.10
282/2	0.10
282/3	0.10
282/4	0.10
283	1.36
284	0.16
286/1	0.54
286/2	0.52
286/3	0.45
287	0.89
288	0.81
289	0.23
291	0.40
292	0.33
294	0.56
295	0.43
296	0.39
298	0.49
299	0.49
306	1.88
307/1	0.11
307/2	0.11
307/3	0.11
307/4	0.11
309	0.38
400/1	0.42
401/1	0.23
401/2	0.23
401/3	0.23
401/4 क	0.06
401/4 ख	0.06
401/4 ग	0.06
401/4 घ	0.05
402	0.37
404	0.56
407	0.52
408	1.18
409/1	2.36
409/2	0.40
409/3	0.40
409/4	0.10
409/5	0.10
409/6	0.10
409/7	0.10
412	0.74
413	0.22
414	0.31
415	0.57
416	0.66
417	0.26
418	2.55
419	1.54
421/1	0.80
421/2	1.20
421/3	4.22
421/4	0.45
421/5	4.75
431/1	0.83
431/4 क	0.18
431/4 ख	0.18
431/4 ग	0.18
431/4 च	0.03
योग 406	209.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धुरागांव, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-276.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134	0.75
135	0.50
136	1.03
137	1.31
138	0.23
140/1	0.18
140/2	0.28
140/3	0.52
141	0.27
142	0.05
155/1 क	0.20
155/1 ख/1	1.39
155/1 ग	0.90
155/2	0.08
156	0.70
157	0.78
158	2.74
159/1 क	0.04
159/1 ख	0.04
159/1 ग	0.04
159/1 घ	0.04
159/1 ङ	0.04
159/2	0.20
160	10.82
166	0.60
167	0.26
168	0.46
169	0.40
170	0.24
174	0.40
176	0.35
177	0.34
178	0.48
185	0.28
187	0.08
245/1	0.90
245/2	0.60
246/1	0.13
246/2	0.13
246/3	0.14
249	1.21
250/1	0.60
250/2	0.20
250/3	0.20
250/4	0.20
251/1	0.13
251/2	0.13
251/3	0.14
251/4	0.13
251/5	0.13
252	0.78
280/1 क	0.68
280/1 ख/1	0.27
280/1 ख/2	0.27
280/1 ख/3	0.26
280/2	0.40
280/3	0.40
281/1	1.43
281/2	1.43
283/1	0.83
283/2	1.00
286/1	1.01
286/2	1.01
287	0.63
289	1.42
290	1.97
291	1.17
292	2.57
293/1	0.36
293/2	0.36
294/1	0.37

(1)	(2)	(1)	(2)
294/2	0.37	326/4	0.30
295	1.65	327	1.91
297	2.10	328/1	0.18
298	0.84	328/2	0.17
299	2.44	328/3	0.18
300/1	0.20	328/4	0.52
300/2	0.27	328/5	0.18
300/3	0.27	328/6	0.17
300/4	0.20	328/7	0.17
300/5	0.20	328/8	0.13
300/6	0.20	328/9	0.13
300/7	0.40	328/10	0.13
302	2.12	328/11	0.13
303	0.37	328/12	0.52
304	0.81	328/13	0.09
305/1	0.04	328/14	0.09
305/2	0.04	328/15	0.09
306	0.95	328/16	0.09
307	1.74	328/17	0.04
308	1.72	328/18	0.08
309	2.46	331	0.74
310	1.97	334	0.66
311	1.89	335/1	0.21
312	2.19	335/2	0.20
313/1	0.65	335/3	0.20
313/2	0.65	335/4	0.20
313/3	0.65	335/5	0.20
314/1	0.40	336	1.07
314/2	0.40	337	1.11
314/3	0.41	338	0.30
314/4	0.40	339	1.53
314/5	0.40	340	0.53
317/1	0.34	341/1	0.13
317/2	0.35	341/2	0.12
317/3	0.35	342	0.30
318	1.66	343	0.37
319	0.38	344	0.59
320	0.80	345	1.25
321	0.15	346	0.43
322	1.87	347/1	0.36
323	0.16	347/2	0.38
324	0.92	348	0.54
325	0.17	349	0.85
326/1	0.29	351/1	0.04
326/2	0.30	351/2	1.06
326/3	0.29	351/3	1.06

(1)	(2)
351/4	0.36
355/2	0.40
358	0.12
531	0.82
532	0.25
534/1	0.46
534/2	0.46
534/3	0.46
535	5.98
536	0.62
537	0.37
538	0.64
542/1	0.12
542/2	0.12
542/3	0.12
542/4	0.30
542/5	0.12
542/6	0.12
542/7	0.12
542/8	0.06
542/9	0.06
542/10	0.06
542/11	0.06
542/12	0.07
542/13	0.06
542/14	0.06
542/15	0.06
542/16	0.06
542/17	0.06
542/18	0.06
543	0.34
544	2.31
547	2.95
548	0.49
549	0.55
550	0.55
551	0.77
552/1	0.28
552/2	0.28
552/3	0.27
553	1.25
554	0.40
555	6.28
558	0.34
563/1	0.58
563/2	0.58
563/3	0.59
563/4	0.58
563/5	0.58
564	0.71
565	0.49
566	2.83
567	0.44
568/1	0.20
568/2	0.21
568/3	0.20
568/4	0.21
569	1.36
570	3.07
571	0.54
572	2.55
573	0.17
574	0.72
575	1.47
576	0.68
577	1.18
578/1	0.33
578/2	0.33
578/3	0.33
578/4	0.33
579	1.29
580/1	1.52
580/2	0.60
581	0.38
582/1	0.25
582/2	0.35
582/3	0.25
583	0.75
584/1	0.84
584/2	0.40
584/3 क	0.20
584/3 ख	0.20
584/4	0.40
586/1	0.15
586/2	0.15
586/3	0.15
586/4	0.16
586/5	0.15
587	0.51
588	2.42
589/1	0.35
589/2	0.20
589/3	0.08
589/4	0.20

(1)	(2)
589/5	0.20
589/6	0.20
590	0.86
591/1	1.40
591/2	1.30
592/2	4.00
593	1.50
595	0.96
596	3.19
597	1.15
598	1.01
599/1	1.07
599/2	1.00
600	0.94
601	1.23
602	0.10
603	2.02
604	0.81
605	0.40
606	0.71
607	0.70
608	2.03
609	1.26
610	1.06
611	1.89
612	1.90
613/1	0.51
613/2	0.51
614	0.20
616	1.62
617	0.46
618	0.08
619/1	0.40
619/2	0.40
619/3	0.40
619/4	0.40
621	2.74
623/1	0.49
623/2	0.49
623/3	0.48
623/4	0.48
623/5	0.48
624	1.50
625/1	0.71
625/2	0.71
625/3	0.71
625/4	2.11
625/5	0.65
625/6	0.64
625/7	0.64
625/8	0.36
625/9	0.36
625/10	0.35
625/11	0.36
625/12	1.60
625/13	0.21
625/14	0.21
625/15	0.22
625/16	0.22
625/17	0.22
625/18	0.22
626/1	0.70
626/2	0.70
626/3	0.71
626/4	0.71
628	0.40
630	2.08
631	2.12
632	0.43
633	2.02
634	1.45
637	1.14
638	0.64
639	0.75
640	2.40
642	0.14
643	0.14
645/1	0.20
645/2	0.20
645/3	0.58
645/4	0.57
646	0.85
647	1.00
649	2.10
650	2.04
653	2.03
655/1	0.30
655/2	0.30
655/3	0.40
655/4	0.40
655/5	0.22
655/6	0.40
657	2.06
661	0.58

(1)	(2)
665	0.07
666	1.85
667	0.22
668	2.02
669/1 क	0.80
669/1 ख	0.40
669/2	0.78
670/1	0.85
670/2	0.85
671	0.89
672	1.93
673	0.88
674	2.54
677	2.01
678	1.87
683	2.03
योग 367	276.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-62.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
527	0.23
531/1	0.06
531/2	0.09
531/3	0.06
531/4	0.50
532/1 क	0.25
532/1 ख	0.40
532/2	0.10
534/1 क	0.09
534/1 ख	0.09
534/1 ग	0.09
534/2 क	0.10
534/2 ख	0.09
534/2 ग	0.09
536	0.40
539/1 क	1.56
539/1 ख	1.93
539/2	0.33
540/1	0.22
540/2	0.22
540/3	0.22
540/4	0.21
541	1.21
542	0.32
543/1	0.20
543/2	0.20
544/1 क	0.13
544/1 ख	0.12
544/2	0.26
544/3	0.26
544/4 क	0.13
544/4 ख	0.13
544/5	0.25
544/6	0.26
544/7	0.26
545/1	0.61
545/2	0.60
546	0.40
549	1.58
550	0.20
552	0.40
553/1	0.15
553/2	0.15
555	1.80

(1)	(2)
556	0.40
560	0.25
562	0.40
563	0.71
564/2	0.30
577	0.45
578/1	0.09
578/2	0.08
578/3	0.08
578/4	0.12
578/5	0.03
578/6	0.09
579/2	0.09
579/3	0.06
579/4	0.18
579/5	0.29
579/6	0.60
579/7	0.40
579/8	0.45
580/1 क	0.66
580/1 ख	0.20
580/1 ग	0.20
580/2 क	0.40
580/2 ख	0.20
580/2 ग	0.20
580/2 घ	0.20
580/2 ङ	0.20
580/2 च	0.20
581/1	0.30
581/2	0.17
581/3	0.20
581/4	0.34
581/5	0.14
581/6	0.07
581/7	0.03
582	0.27
583	0.81
584/1	0.20
584/2	0.21
585	0.40
586	0.12
587	0.20
588	0.27
589	1.04
590	0.79
591/1	0.14
593	0.40

(1)	(2)
594/1	0.20
591/2	0.13
594/2	0.20
595/1	0.33
595/2	0.33
595/3	0.34
596/1	0.30
596/2	0.30
596/3	0.30
597/1 क	0.14
597/1 ख	0.14
597/2	0.27
598/1	0.31
598/2	0.31
599/1	0.10
599/2	0.10
599/3	0.10
600/1	0.42
600/2	0.43
600/3	0.42
602	0.50
603	0.60
604/1	0.40
604/2	0.40
605/1 क	0.33
605/1 ख	0.10
605/1 ग	0.10
605/2	0.30
605/3	0.82
605/4	0.10
605/5	0.10
606	2.00
607/1	1.00
607/2	0.75
608/1	0.19
608/2	0.19
608/3	0.18
609	1.20
610/1	0.67
610/2	0.67
610/3	0.68
611	0.35
612	2.02
613	0.65
678/2	0.31
678/3	0.31

(1)	(2)
678/4	0.31
678/5	0.31
678/6	0.31
680/1	0.40
680/2	0.40
680/3	0.28
681	0.10
726	0.14
727	0.04
728	1.39
729	0.14
730	0.31
731/1	0.28
731/2	0.28
732	1.00
733/1	0.36
733/2	0.35
734/1	0.40
734/2	0.40
735	0.35
737	0.35
738/1	0.53
738/2	0.50
738/3	0.50
739	0.15
741/2	0.38
786/1	0.22
786/2	0.42
786/3	0.70
787	0.10
788/1	0.04
788/2	0.03
योग 169	62.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—**चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.** अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरिसगुड़ा, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-165.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
162/1 क	0.09
162/1 ख	0.09
162/1 ग	0.09
162/1 घ	0.08
162/2	0.21
162/3 क	0.13
162/3 ख	0.10
163/1	0.11
163/2	0.11
163/3	0.10
163/4	0.14
164/1	0.12
164/2	0.10
167	0.30
192/1 क	0.08
192/1 ख	0.07
192/1 ग	0.08
192/1 घ	0.08
192/2	0.31
192/3 क	0.20
192/3 ख	0.20
195	0.19
196/1	0.02
196/2	0.02
196/3	0.02

(1)	(2)
196/4	0.02
196/5	0.02
196/6	0.02
345	0.12
346	0.49
247	0.84
348	0.83
349/1 क	0.12
349/1 ख	0.18
349/2	0.80
350/1	0.32
350/2	0.32
351	0.26
352	0.40
353	1.23
354/1/1	0.89
354/1/2	0.19
354/1/3	0.19
354/2	0.80
355	0.44
356	2.19
357	0.52
360	0.97
361/1	0.16
361/2	0.15
361/3	0.15
362/1	0.49
362/2	0.49
363	0.64
364	2.28
366	0.33
367/1	6.30
367/2	0.25
368	0.32
369/1	0.51
369/2	0.14
372	4.92
373	0.59
374	0.18
375	10.03
378	0.50
379/1	0.36

(1)	(2)
379/2	0.37
380	0.62
381/1	0.12
381/2	0.11
381/3	0.11
381/4	0.11
382/1	0.13
382/2	0.13
382/3	0.14
382/4	0.14
383	0.15
384/1 क	3.40
384/1 ख	0.20
384/2 क	0.60
384/2 ख	0.13
385	0.07
388/1	0.20
388/2	0.05
389/5	0.20
389/6	0.20
403	0.30
672	1.11
673	0.98
674	0.57
675	0.87
676	0.39
677	0.44
678/1	0.25
678/3	0.38
678/4	0.47
678/5	0.46
678/6	0.08
678/2 क	0.12
678/2 ख	0.11
678/2 ग	0.12
678/2 घ	0.12
678/2 ङ	0.12
678/7 क	0.11
678/7 ख	0.11
678/7 ग	0.11
678/7 घ	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
678/7 ङ	0.11	732	1.20
679	1.03	733	1.02
680	0.55	734	0.45
681/1 क	0.22	735	0.77
681/1 ख	0.22	736	1.12
681/2	0.41	737/1	0.42
682	0.42	737/2	0.39
683	0.32	738	0.98
707/1	0.30	743	0.75
707/2	0.27	748	0.32
707/3	0.32	749	0.10
708/1	0.32	750/1 क	0.20
708/4	0.08	750/1 ख	0.20
708/5	0.17	750/2	0.35
708/6	0.17	751	0.12
708/7	0.17	752	0.32
708/8	0.17	753	2.41
709	0.26	754	1.18
710/1	0.26	755	1.40
710/2	0.26	756/1	0.20
711	0.95	756/2	0.50
713/1 क	0.50	756/3	0.14
713/1 ख	0.50	757/1	0.55
713/2	0.53	757/2	0.35
714	0.09	758	0.58
715/1	0.32	759	0.72
715/2	0.32	760	0.40
716	0.63	761	0.20
718/1	0.30	762/1	0.28
718/2	0.30	762/2	0.20
720/1	0.17	762/3	0.26
720/2	0.18	762/4	0.25
721	0.34	762/5 क	0.03
722/1	0.18	762/5 ख	0.02
722/2	0.17	762/5 ग	0.02
722/3	0.18	762/5 घ	0.02
722/4	0.17	762/5 ङ	0.02
723	0.25	763	0.26
724	1.47	764	1.45
725	0.16	765	1.32
726	0.23	766	0.73
727/1	0.45	767/1	0.60
727/2	0.50	767/2/1	0.36
727/3	0.50	767/2/2	0.19
727/4	0.50	768/1/1	0.30
731	1.23	768/1/2	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
768/2	0.35	786/19	0.76
769	0.36	786/20	0.05
770	0.31	786/21	0.10
771	4.28	786/22	0.30
772	0.36	786/23	0.48
773	0.25	786/24	2.30
774	0.85	786/25 क	0.64
775	0.57	786/25 ख	0.36
776/1	0.11	787	0.47
776/2	0.10	788	0.48
776/3	0.10	789	0.46
776/4	0.10	790	1.30
776/5	0.10	791/1	1.63
777	0.39	792/1	1.02
779	1.47	792/2	0.40
780	1.12	793	1.12
781	0.28	796	0.40
782/1	1.63	950	1.93
782/2	1.63	951/1	0.36
782/3	1.63	951/2	0.39
783/1 क/1	1.10	955/1	0.30
783/1 क/2	1.10	955/2	0.59
783/1 क/3	1.13	955/3	0.33
783/1 क/4	1.10	955/4	0.30
783/1 ख	0.28	956	0.33
783/2	0.30	957/1	0.25
784	0.15	957/2	0.25
785	1.44	957/3	0.25
786/1	3.31	958	1.11
786/2	1.35	959	0.07
786/3	0.55	960	1.26
786/4	0.35	961/1	0.42
786/5	0.38	961/2	0.42
786/6	1.11	961/3	0.42
786/7	0.05	961/4	0.42
786/8	0.05	962	1.36
786/9	0.08	966	0.64
786/10	0.05	967	0.42
786/11	0.70	968	1.89
786/12	0.44	969	2.73
786/13	0.55	970	0.40
786/14	0.10	971	1.14
786/15	0.10	972/1	0.05
786/16	0.05	972/2	0.04
786/17	0.03	972/3	0.04
786/18	0.08	972/4	0.04

(1)	(2)
972/5 क	0.01
972/5 ख	0.01
972/5 ग	0.01
972/5 घ	0.01
972/6	0.04
973/1	0.15
973/2	0.15
973/3 क	0.03
973/3 ख	0.03
973/3 ग	0.03
973/3 घ	0.03
973/3 ङ	0.04
973/4	0.16
973/5	0.16
973/6	0.16
974	0.48
976	1.75
योग 309	165.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-टाकरागुड़ा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-185.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
390	0.64
392	0.03
398	1.72
423/1	0.20
423/2	0.20
423/3	0.20
423/4	0.20
423/5	0.20
423/6	0.20
423/7	0.20
424	0.32
427/1	0.80
427/2	0.80
427/3	0.81
427/4	0.81
427/5	0.81
427/6	0.81
427/7	0.81
428	0.61
430	0.18
431	0.11
432	0.96
433	0.61
434/1	0.37
434/2	0.40
434/3	0.40
435	0.21
436	0.32
437	1.03
438	0.40
439	0.48
440	0.71
441	1.42
442	0.32
443	0.28
444	0.35
445	0.37
446	1.54
447/1	0.89
447/2	0.58
448	1.40
449	1.46
450	1.49
451/1	2.20

(1)	(2)	(1)	(2)
451/2	1.19	507/4	0.35
484	0.50	507/5	0.35
485/1	0.33	507/6	0.35
485/2	0.33	507/7	0.35
485/3	0.12	508	0.63
485/4	0.10	509/1	1.03
486	3.01	509/2	1.03
489	0.46	509/3	1.02
490	0.03	509/4	1.02
493/1	0.33	510/1 क	2.88
493/2	0.09	510/1 ख	0.17
493/3	0.17	510/2	0.40
493/4	0.14	511	0.35
493/5	0.29	512	1.21
493/6	0.26	513	2.21
493/7	0.11	414	0.49
493/8	0.09	515/1	0.26
493/9	0.36	515/2	0.26
493/10	0.18	515/3	0.27
493/11	0.17	516/1	0.28
493/12	0.20	516/2	0.27
493/13	0.33	517/1	0.37
493/14	0.25	517/2	0.37
493/15	0.23	517/3	0.37
493/17	0.35	517/4	0.39
495	1.75	518	0.21
498	0.41	519	1.82
499	0.87	520	1.62
500	0.89	521/1	0.07
500/698	0.41	521/2	0.07
501	1.17	521/3	0.07
502/1	0.31	521/4	0.08
502/2	0.31	521/5	0.08
502/3	0.31	521/6	0.08
502/4	0.30	521/7	0.08
502/5	0.31	522	0.12
502/6	0.31	524/1 क	0.10
502/7	0.30	524/1 ख	0.10
502/8	0.30	524/1 ग	0.10
503	0.44	524/2 क	0.10
504	0.37	524/2 ख	0.10
505	0.62	524/2 ग	0.10
506	0.36	525	1.22
507/1	0.36	526	1.40
507/2	0.35	534	1.33
507/3	0.35	536/1	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
536/2	0.05	553	0.46
537	0.16	554	0.61
538	0.20	555/1	0.88
539	0.23	555/2	1.23
540	0.50	555/3 क	0.28
541/1 क	0.22	555/3 ख	0.28
541/1 ख	0.22	555/3 ग	0.27
541/1 ग	0.23	555/3 घ	0.27
541/2 क	0.22	556	0.10
541/2 ख	0.22	557	0.10
541/2 ग	0.22	559	0.57
542/1	0.53	560	1.15
542/2	0.54	562/1	0.36
542/3	0.53	562/2	0.36
543/1 क	0.07	562/3	0.35
543/1 ख	0.07	563	0.61
543/1 ग	0.07	564	0.50
543/1 घ	0.06	565/1 क	0.09
543/2	0.22	565/1 ख	0.08
543/3	0.27	565/1 ग	0.08
544	0.70	565/2 क	0.09
545/1 क	0.09	565/2 ख	0.09
545/1 ख	0.08	565/2 ग	0.08
545/1 ग	0.09	566	0.42
545/2 क	0.09	567	0.42
545/2 ख	0.09	568/1	0.35
545/2 ग	0.08	568/2	0.36
546/1 ख	0.21	569	0.37
546/1 घ	0.21	570	0.29
546/2 क	0.21	571/1	0.17
546/2 ख	0.21	571/2	0.17
546/2 ग	0.22	571/3	0.16
547/1	0.17	572	0.39
547/2	0.17	573	0.55
547/3	0.17	574/1	0.24
548	1.43	574/2	0.23
549/2	0.60	575	0,75
549/3	0.60	576	0.67
549/4	0.60	577	0.37
549/5	0.60	578	0.17
549/6	0.60	579	0.23
549/7	0.44	580/1	0.08
550/1	0.87	580/2	0.08
550/2	0.87	581	0.40
550/3	0.87	582	0.78
551	1.36	583	0.38
552	2.46	584/1	0.53

(1)	(2)	(1)	(2)
584/2	0.53	611	0.33
585	0.81	612	0.40
586/1	0.70	613/1	1.09
586/2	0.66	613/2	1.09
586/3	0.35	614	1.53
587	0.81	615	0.61
588	0.94	617	0.69
589	0.33	618	0.65
592	0.79	619/1	0.90
593/1 क	0.18	619/2	1.81
593/1 ख	0.18	620	0.82
593/1 ग	0.19	621	1.76
594	3.55	627	0.30
596/1	0.13	629	1.48
596/2	0.14	630	0.27
596/3	0.14	631	0.27
596/4	0.14	632	1.35
596/5	0.14	633	0.74
596/6 क	0.05	634	0.73
596/6 ख	0.04	636	0.66
596/6 ग	0.05	637	0.66
596/7	0.14	638/1	0.36
597	0.68	638/2	0.35
598	0.36	639/1	0.42
599/1	0.50	639/2	0.41
599/2	0.50	640	0.64
599/3	0.25	643	1.35
600	0.42	644	0.81
601	0.31	645	2.13
602	1.52	646	1.14
603	0.76	647	0.73
604	0.08	648	1.25
606	3.58	649	1.55
607/1	1.00	650	0.18
607/2	0.99	651	0.21
608/1	0.25	652	0.65
608/2	0.25	653	1.02
608/3	0.25	654/1	0.04
608/4	0.25	654/2	0.04
608/5	0.24	654/3	0.04
608/6 क	0.08	654/4	0.04
608/6 ख	0.08	654/5	0.03
608/6 ग	0.08	654/6	0.03
608/7	0.24	654/7	0.03
609	0.15	655/1	0.59
610	2.15	655/2	0.59

(1)	(2)
655/3	0.59
656/1	0.10
656/2	0.10
656/3	0.07
656/4	0.05
656/5	0.07
657/1	0.51
657/2	0.50
658	0.95
659/1 क	0.11
659/1 ख	0.11
659/1 ग	0.10
659/2 क	0.11
659/2 ख	0.11
659/2 ग	0.11
660/1 क	0.07
660/1 ख	0.09
660/1 ग	0.07
660/2 क	0.07
660/2 ख	0.08
660/2 ग	0.07
661	0.90
662	0.32
663/1 क	0.09
663/1 ख	0.09
663/1 ग	0.09
663/2 क	0.09
663/2 ख	0.09
663/2 ग	0.08
664/1	0.30
664/2	0.50
664/3	1.10
665	0.86
666	0.51
668/1	0.13
668/2	0.13
668/3	0.13
668/4	0.13
668/5	0.13
668/6 क	0.04
668/6 ख	0.04
668/6 ग	0.04
668/7	0.12
673	0.65
674	0.68
683	0.35
684	1.54
685	2.22
योग 370	185.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राखड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.741 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राखड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.